

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): ग्वालियर

P.S. (थाना): झाँसी रोड

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0033

Year (वर्ष): 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 20/01/2025 00:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	294
2	भा दं सं 1860	506
3	भा दं सं 1860	353

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

दरमियानी दिन

29/10/2022

08/03/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

18:00 बजे

18:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/01/2025

Time (समय): 23:55 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 046

Date & Time (दिनांक और समय): 20/01/2025 00:25

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 1.5 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): आरोपी का घर गली न 05, नाका चन्द्रवदनी, ग्वालियर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): रामू सिंह कुशवाह

(b) Father's Name (पिता का नाम):

फूलसिंह कुशवाह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	बीरेन्द्र नगर, भिण्ड, भिंड -कोतवाली, भिण्ड, मध्य प्रदेश, भारत
2	वर्तमान पता	न्यू आवासीय परिसर, 13 बटालियन, ग्वालियर, माधोगंज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत
3	स्थायी पता	बीरेन्द्र नगर, भिण्ड, भिंड -कोतवाली, भिण्ड, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8435908060

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात)

अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	आशीष चतुर्वेदी /AASHISH CHATURVEDI			1. 05, नाका चन्दवदनी, ग्वालियर, झाँसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

फरियादी को बर्खास्ती का भय एवं पेट्रोल से जलने की धमकी देने से

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
-----------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं उपनिरीक्षक अवधेश सिंह कुशवाह आज दिनांक कौ थाना झाँसी रोड में नाईट ऑफिसर की ड्यूटी में पदस्थ हूँ आज दिनांक को फरियादी आरक्षक 170 रामू सिंह कुशवाह 13 बटालियन ग्वालियर मोबाईल नंबर 8435908060 ने हमराह सजनि. सर्वेश शर्मा 14 वी बटा. ई कंपनी मोबा.9826294483, आरक्षक 223 योगेन्द्र राजावत 14 वी बटा. ई कंपनी मोबा.7693009555 के हमराह थाना उपस्थित आकर एक संयुक्त रूप से लेखीय आवेदन पत्र लिखकर दिया जिसका मजमून हास्व जेल है प्रति, थाना प्रभारी महोदय झाँसी रोड विषय आशीष चतुर्वेदी आरटीआई एक्टीविस्ट ग्वालियर के द्वारा सार्वजनिक रूप से अक्षील माँ बहन की गलियाँ देने तथा शासकीय दायित्व निर्वहन में बाधा उत्पन्न कर उसके निजी कार्य कराने के लिये धमकाने वावत। महोदय, मैं प्रार्थी एस.ए.एफ. आरक्षक क्रमांक 170 रामू सिंह कुशवाह पुत्र फूल सिंह कुशवाह वर्तमान में 13 बटा इकाई ग्वालियर में पदस्थ हूँ। मैं वर्ष 2022-2023 में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार आरटीआई एक्टीविस्ट आशीष चतुर्वेदी की सुरक्षा पीएसओ (पर्सनल सिक्यूरिटी ऑफिसर) हेतु तैनात हुआ था। मेरे साथ में सजनि. सर्वेश शर्मा, आरक्षक नंदकिशोर बोहरे, आर. योगेन्द्र कुशवाह भी मेरे साथ में ही आशीष चतुर्वेदी की सुरक्षा हेतु पीएसओ के रूप में लगे हुए थे। फिर मेरी पोस्टिंग 2022 में दीपावली से अगले होली 23 तक थी। इस दौरान वहाँ पर सजनि सर्वेश शर्मा अन्य मेरे साथी एस.ए.एफ. के आरक्षकगण नंदकिशोर बोहरे, योगेन्द्र कुशवाह आदि सभी वहाँ आशीष चतुर्वेदी की सुरक्षा में तैनात थे। तब आशीष चतुर्वेदी हम सभी को माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियाँ देकर प्रताड़ित करके बात करता था। जिसके व्यवहार से हम सभी सुरक्षा कर्मी बहुत प्रताड़ित थे। उसी दौरान दिनांक 29.10.2022 को शाम करीब 6.00 बजे में ड्यूटी पर आशीष चतुर्वेदी के मकान के सामने, गली नंबर 5 नाका चन्दवदनी थाना झाँसी रोड की सुरक्षा ड्यूटी में था मेरे साथ में अन्य सुरक्षा गार्ड सजनि. सर्वेश शर्मा, पीएसओ आरक्षक नंदकिशोर बोहरे, आर. योगेन्द्र कुशवाह भी वही पर थे, तब आशीष चतुर्वेदी ने मुझे बोला कि गाड़ी चालू कर लो कहीं जाना है। तो घर के सामने वहाँ पुलिस लाईन से मिली दो मोटरसायकलें थी तो मैंने उनसे बोला कौन सी वाली मोटरसायकल ले लू। तो उन्होंने बोला कि पल्सर वाली मोटरसायकल ले लो, तो मैंने आशीष - चतुर्वेदी को बताया कि पल्सर मोटर सायकल में पेट्रोल कम है भरवाना पड़ेगा तो इसी बात पर आशीष चतुर्वेदी अचानक भड़क गया और मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया। वहाँ पर सजनि. सर्वेश शर्मा, - आरक्षक नंदकिशोर बोहरे, आर. योगेन्द्र कुशवाह सभी उपस्थित थे। आशीष चतुर्वेदी ने लगातार करीब 2-4 मिनट तक मुझे और मेरे साथी सुरक्षा ड्यूटी वालों को माँ बहन की गालियाँ देते हुये बोल रहा था मादरचोदो

पेट्रोल नहीं भरा सकते, तेरी माँ बहन चोदूंगाँ 10 दिन से पेट्रोल नहीं भरा पा रहे है, सब के सब गाण्डू है, क्यो रे गाडू पटककर गाण्ड मार लूँगा तेरी, मादर चोद नहीं तो, जाते समय भी मैंने शर्मा जी इसको बोला था पेट्रोल डला कर ले आ, मैं नहीं जाऊंगा, अब साले ये नहीं जायेगा तो क्या मैं पेट्रोल डलाऊंगाँ तेरा बाप भी जायेगा भेन के लवडे पेट्रोल डलाने, नहीं जायेगा तो तेरे गाण्ड में पेट्रोल डालकर आग लगा दूँगा। इस प्रकार से लगातार दो चार मिनट तक आशीष चतुर्वेदी के द्वारा मुझे और मेरे साथियों को लगातार माँ- बहन की अश्लील अभद्र गालिया देता रहा। उस समय मेरे द्वारा मेरे मोबाईल फोन में आशीष चतुर्वेदी के द्वारा मुझे और स्टाफ को दी गई गालियों की विडियो रिकार्डिंग मेरे जेब में मोबाईल विडियो चालू करके की गई थी। जिसकी ऑडियो की रिकार्डिंग हुई थी मोबाईल जेब में होने के कारण विडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह लगातार मेरी तैनाती के चार पाँच महीनों में और मेरे साथ वाले सुरक्षाकर्मी आशीष चतुर्वेदी से प्रताड़ित रहे। आशीष चतुर्वेदी प्रभावशील व्यक्ति है, वह धमकी देता रहता था कि अगर मेरे हिसाब से काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूँगा, नौकरी से बर्खास्तगी का भय दिखाकर हमे गालियाँ देकर और दुर्व्यवहार करके प्रताड़ित करता था जिससे मैं और मेरे सभी साथी भयभीत रहते थे मुझसे अपने व्यक्तिगत कार्य उसके पिता एवं अन्य परिवार जनों साथ भी भेज कर उसके व्यक्तिगत कार्य के लिये जबरजस्ती भेजता था। मैं आशीष चतुर्वेदी द्वारा दी गई गाली गलौच, धमकियों और अमानवीय व्यवहार से भयभीत हो गया था। जिस कारण मैं मेरी शासकीय ड्यूटी में व्यवधान होता रहता था। उसके बाद मेरे द्वारा अगले ही दिन दिनांक 30.10.2022 को ही मेरी ड्यूटी आशीष चतुर्वेदी की गार्ड ड्यूटी से वापसी करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने लिखित में शिकायत की गई थी। शिकायत की पावती मेरे पास रखी है। किन्तु आशीष चतुर्वेदी के यहाँ मेरी ड्यूटी पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार होने पर मुख्यालय भोपाल से तत्काल वापसी का आदेश नहीं आ पाने से मैं घटना की शिकायत करने के उपरांत भी वही पीएसओ की ड्यूटी में तैनात रहा। क्योकि आशीष चतुर्वेदी को भी पता चल गया था कि मैंने उसकी शिकायत की है और उसने मुझे भयभीत कर धमकाया था कि यदि कोई और शिकायत की तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। वर्दी उतरवा दूँगा। जिस कारण मैंने फिर शिकायत आगे नहीं की थी। तब मेरे द्वारा मेरे साथी सुरक्षा में तैनात कर्मियों आरक्षक नंदकिशोर बोहरे, सजनि. सर्वेश शर्मा, आरक्षक योगेन्द्र कुशवाह को बाद में मोबाईल में आशीष चतुर्वेदी के द्वारा मेरे साथ गाडी में पेट्रोल भरवाने को लेकर की गई घटना की रिकार्डिंग को मेरे मोबाईल से सुनाया था जिसमे आशीष चतुर्वेदी आरटीआई एक्टीविस्ट मुझे गालिया दे रहा है। जिसका हम आवेदन पत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर रहे है, साथ घटी घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं। जिस पर वैधानिक कार्यवाही आशीष चतुर्वेदी के विरुद्ध की जावे। सलग्न- घटना की रिकार्डिंग पेन ड्राईव-1 दिनांक-19.01.2025 हस्ताक्षर अंग्रेजी मे रामू सिंह प्रार्थी 1. आरक्षक 170 रामू सिंह कुशवाह 13 बटालियन ग्वालियर मोबाईल नंबर 8435908060, 2. सजनि. सर्वेश शर्मा 14 वी बटा. ई कंपनी मोबा. 9826294483 हस्ताक्षर अंग्रेजी मे अपठनीय, 3. आरक्षक 223 योगेन्द्र राजावत 14 वी बटा. ई कंपनी मोबा. 7693009555 हस्ताक्षर अंग्रेजी मे अपठनीय उपरोक्त मजमून से अपराध धारा 294, 506, 353 भा.द. वि. का दण्डनीय पाये से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाता है

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है।) or (या)

- (1) Registered the case and took up the Investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Ashish Sharma
No.(सं.): si
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

to take up the Investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई


FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Avdhesh singh kushwah

Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

Ram Singh

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MANGAL SINGH PAPOLA

Rank(पद): OFFICIATING INSPECTOR

No.(सं.): 123

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा/सफ़ेद)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20